



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266547
CG-DL-E-30092025-266547

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No. 276]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच की शुरूआत की अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025
मामला संख्या: -एडी (ओआई)-30/2025

विषय: सऊदी अरब और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सामान्य ब्यूटेनॉल" या "एन-ब्यूटाइल अल्कोहल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. फा.सं. 6/33/2025 -डीजीटीआर.—दि आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता अथवा आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण., ताइवान और सऊदी अरब से 'सामान्य ब्यूटेनॉल' या 'एन-ब्यूटाइल अल्कोहल' (जिसे आगे संबद्ध सामान या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन से देश में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“विचाराधीन उत्पाद सामान्य ब्यूटेनॉल है। सामान्य ब्यूटेनॉल एक प्राथमिक ऐल्कोहॉल है जिसकी संरचना 4-कार्बन और आणविक सूत्र सी4एच9ओएच है। सामान्य ब्यूटेनॉल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से प्राप्त अम्ल-उपचार योग्य लैकर और बेकिंग फिनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्यूटेनॉल का एक बड़ा भाग कोटिंग उद्योगों और मुद्रण स्थानी में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्नों में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक, पॉलिश और क्लीनर में योजक, कपड़ा उद्योग में विलेय, बर्फ हटाने वाले तरल पदार्थों में योजक, गैसोलीन में एंटी-आइसिंग योजक, सेल्यूलोज़ नाइट्रेट के लिए ह्यूमेक्टेंट, ग्लाइकॉल ईथर और फ्लोटेशन इडस (ब्यूटाइल जैथेट) के उत्पादन में फीडस्टॉक और ब्यूटाइल मोनो कार्बोक्सिलेट्स, ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट के उत्पादन के लिए आरंभिक सामग्री के रूप में भी किया जाता है।”

4. सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिन से बने अम्ल-उपचार योग्य लैकर और बेकिंग फिनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक के रूप में किया जाता है। एन-ब्यूटेनॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्नों में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य ब्यूटेनॉल का उपयोग मुद्रण स्थानी के लिए विलायक, दवाओं और प्राकृतिक पदार्थों के उत्पादन में निष्कर्षक आदि के रूप में किया जा सकता है।

माप की इकाई

5. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री एमटी में व्यक्त वजन के अनुसार की जाती है।

प्रशुल्क वर्गीकरण

6. विचाराधीन उत्पाद उप-शीर्ष 2905 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 29051300 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जाँच के पक्षकार, जाँच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और उत्पाद नियंत्रण संघ्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित सामानों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान आवेदन चीन, ताइवान और सऊदी अरब से विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के संबंध में दायर किया गया है। हालांकि, डीजीसीआईएंडएस डेटा की जांच की गई है और पाया गया है कि चीन पीआर से संबंधित वस्तुओं के आयात की मात्रा नगण्य है और इसलिए चीन पीआर के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है। इसी को देखते हुए ताइवान और सऊदी अरब को विषय देश माना जाता है।

घ. जाँच की अवधि (पीओआई)

10. प्रस्तावित जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 (12 महीने की अवधि) जाँच की प्रस्तावित जाँच अवधि (पीओआई) और 1 अप्रैल 2021- 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 2022-31 मार्च 23 और 1 अप्रैल 2023-31 मार्च 24 तथा जाँच की अवधि क्षति की अवधि के रूप में है। प्रस्तावित अवधि आवेदक के कार्य-निष्पादन की नवीनतम अवधि है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. वर्तमान आवेदन-पत्र आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, एक अन्य उत्पादक अर्थात् भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां आगे “बीपीसीएल” कहा गया है) है। आवेदक ने दावा किया है कि पिछली जाँच में, आवेदक भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। 2021 में बीपीसीएल ने भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू किया। अन्य उत्पादक ने न तो आवेदन-पत्र का विरोध किया है और न ही समर्थन किया है। यह भी अनुरोध है कि आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और नहीं संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध है।

12. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि आवेदक, अर्थात् आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार**(1) ताईवान और सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य**

13. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, कानून घरेलू कीमतों, तीसरे देश के निर्यात मूल्यों, या उत्पादन की लागत और खर्च और मुनाफे के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देता है। आवेदक ने बिक्री के लिए उचित वृद्धि, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ मार्जिन के साथ उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। शुरुआत के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

(2) निर्यात कीमत

14. संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखानागत स्तर पर कीमतें निकालने के लिए उचित कीमत समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के तुलनीय हो सकें।

(3) पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और यह स्थापित किया है कि विषय देशों से आयात किए जाने से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। आवेदकों ने दावा किया है कि चोट की अवधि के दौरान भारत में घरेलू उत्पादन और मांग दोनों के संबंध में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है। विषय देशों के लिए डंपिंग मार्जिन न्यूनतम और महत्वपूर्ण से अधिक है। आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, और कीमतों में वृद्धि को रोक दिया है, जो अन्यथा होता। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो चोट की अवधि में खराब हो गया है। पाटनरोधी जाँच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबंधित देशों अर्थात् ताईवान और सऊदी अरब से डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और तथाकथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क, के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा सऊदी अरब और ताईवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शल्क, जो यदि लगाए जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

19. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजे जाने चाहिए और उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो और आंकड़ा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।

20. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथा-निर्धारित रूप में और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

21. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय-सीमा के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकता है,

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in पर नियमित रूप से देखते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) नियमित रूप से देखते रहें और प्रश्नावली प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएँ, और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पते ds2-dgtr@gov.in और dd19-dgtr@nic.in पर भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली की व्याख्या के संबंध में सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए जिस तिथि को उसे प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को परिचालित किया गया था। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी सूचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. जहां जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।

27. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग से दायर करने होंगे।

28. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को प्रस्तुत कोई भी अनुरोध, बिना ऐसे चिह्नों के, प्राधिकारी द्वारा "गोपनीय" सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय रूपांतर में वे सभी सूचना शामिल होनी चाहिए जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा ब्लैंकड आउट (जहाँ सूचीकरण संभव नहीं है) किया गया हो और वह सूचना उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। हालाँकि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पूरा और पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सार क्यों संभव नहीं है।

31. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतर या गोपनीयता के दावे पर उचित कारण विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय सार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफलता से जांच की शुरुआत की अधिसूचना की धारा एम के तहत कार्यवाही हो सकती है।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर अथवा इस जांच संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा नहीं देता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास

उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वह उपयुक्त मानें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2025

Case No. AD (OI) – 30/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Normal Butanol” or “N-BUTYL ALCOHOL” originating in or exported from Taiwan and Saudi Arabia.

1. **F. No. 6/33/2025-DGTR.**—The Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of ‘Normal Butanol’ or ‘N-Butyl Alcohol’ (hereinafter referred to as the subject goods or PUC) from China PR, Taiwan and Saudi Arabia.
2. The applicant has alleged that dumping of the product under consideration from the subject country is causing material injury to the domestic industry in the country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the product under consideration from the subject countries.

A.PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The scope of product under consideration as claimed by the applicant is defined as follows:-

“The product under consideration is Normal Butanol. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C4H9OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and floatation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.”

4. Normal butanol is used as an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries. The applications in which normal butanol can be used are Solvent for printing inks, extractant in production of drugs and natural substances etc.

Unit of measurement

5. The product under consideration is produced and sold in terms of weight expressed in MT.

Tariff classification

6. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2905. The product under consideration is imported under 29051300. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration
7. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that there is no significant difference in the goods produced by the applicant and exported from the subject countries. The product produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, the product produced by the applicant is a “like article” to the product being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

9. The present application has been filed in respect of dumping of the product under consideration from China, Taiwan and Saudi Arabia. However, the DGCI&S data has been examined and found that there is negligible volume of import of subject goods from China PR. In view of the same, Taiwan and Saudi Arabia are considered as subject countries.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

10. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2024 – 31st March 2025 (12 months). The injury examination period is 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

11. The present application has been filed by The Andhra Petrochemicals Limited. Apart from the applicant, there is another producer namely Bharat Petroleum Corporation Limited (hereinafter referred to as “BPCL”). The applicant has claimed that in the previous investigation, the applicant was the sole producer of the subject goods in India. In 2021 BPCL commenced its production of the subject goods in India. The other producer has neither opposed nor supported the application. It is also submitted that the applicant has neither imported the subject goods from subject countries nor is related to any exporter or producer in the subject countries.
12. On the basis of information available on record, the Authority is *prima facie* satisfied that the applicant, namely The Andhra Petrochemicals Limited constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS FOR ALLEGED DUMPING**(1) Normal Value for Taiwan and Saudi Arabia**

13. Under Section 9A (1)(c), the law permits normal value to be determined based on domestic prices, third-country export prices, or cost of production plus expenses and profits. The applicant has claimed normal value based on the cost of production in India based on best estimates of the cost of the production with reasonable addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profit margins. For the purpose of initiation, the Authority has considered the constructed normal value based on cost of production in India.

(2) Export Price

14. The export price for the subject goods has been computed based on the DGCI &S transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

(3) Dumping Margin

15. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

16. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished *prima facie* evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. The applicants have claimed that the volume of imports increased in both absolute terms and in relation to domestic production and demand in India over the injury period. . The dumping margin for subject countries are more than de minimis and significant. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry which has deteriorated in the injury period. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject countries i.e, Taiwan and Saudi Arabia to justify initiation of anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF THE ANTI-DUMPING INVESTIGATION

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the domestic industry, and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by domestic industry about dumping of subject goods originating in or exported from the subject country, the injury to the domestic industry and the causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from Saudi Arabia and Taiwan and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

18. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses ds2-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@nic.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassies in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

23. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses ds2-dgtr@gov.in and dd19-dgtr@nic.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

26. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
31. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

34. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non -confidential version of submission / response/information might lead to action under Section M of this Initiation Notification

N. NON-COOPERATION

35. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority